लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स मलपुरी सेण्ड माईन (प्रो. श्री पदम कुमार डडसेना), ग्राम – मलपुरी, तहसील – पलारी, जिला – बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.), खसरा नं. – 502 पार्ट, कुल क्षेत्रफल – 10 हेक्टेयर में प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान उत्खनन क्षमता – 1,80,000 घनमीटर/वर्ष के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 26.11.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के तहत् मेसर्स मलपुरी सेण्ड माईन (प्रो. श्री पदम कुमार डडसेना), ग्राम – मलपुरी, तहसील – पलारी, जिला – बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.), खसरा नं. – 502 पार्ट, कुल क्षेत्रफल – 10 हेक्टेयर में प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान उत्खनन क्षमता – 1,80,000 घनमीटर/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् लोक सुनवाई कराने हेतु छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया है। दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर, रायपुर एवं फाईनेंशियल एक्सप्रेस नई दिल्ली में दिनांक 26/10/2024 को लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित करवाई जाकर दिनांक 26.11.2024 समय प्रातः 10:00 बजे लोकसुनवाई का आयोजन ग्राम – मलपुरी स्थित विश्रामगृह परिसर, डोगर देवी मंदिर समिति मलपुरी के पास, तहसील – पलारी, जिला – बलौदाबाजार – भाटापारा (छ.ग.) में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर और जिला प्रशासन जिला – बलौदाबाजार – भाटापारा द्वारा संयुक्त रुप से किया गया है, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित की गई व तामीली भी ली गई।

परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् लोक सुनवाई दिनांक 26.11.2024 को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार – भाटापारा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई स्थल में क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर तथा गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं लगभग 150 जन सामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई की प्रक्रिया प्रातः 10:00 बजे आरंभ हुई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये है, उनकी सूची संलग्नक–01 अनुसार है, (पृष्ठ क्रमांक 1 से 07 तक)।

3. क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदया से लोक सुनवाई आरंभ करने का निवेदन किया गया।

4. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की गई तथा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित परियोजना के संबंध में जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया।

5. परियोजना प्रस्तावक श्री पदम कुमार डडसेना ने कहा कि आज दिनांक 26.11.2024 को विश्राम गृह परिसर, डोगर देवी मंदिर समिति मलपुरी के पास, ग्राम– मलपुरी, तहसील – पलारी, जिला– बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.) में परियोजना प्रस्तावक श्री पदम कुमार डडसेना द्वारा आवेदित मलपुरी सेण्ड माईन खनन परियोजना (प्रो. श्री पदम कुमार डडसेना), प्रस्तावित नदी रेत खदान परियोजना के पर्यावरण स्वीकृति के तहत् लोक सुनवाई कार्यक्रम में माननीय अपर कलेक्टर महोदय, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, जिला रायपुर, समस्त गणमान्य आगन्तुक एवं उपस्थित ग्रामवासी का मैं स्वागत करता हूँ और माननीय अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा महोदय की अनुमति से मेरे द्वारा आवेदित मलपुरी सेण्ड माईन रेत खदान के लोक सुनवाई में परियोजना के संबंध में जानकारी देने हेतु नेबेट प्रमाणिक अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, ठाणे के पर्यावरणीय सलाहकार मंडल के सदस्य को आमंत्रित करता हूँ।

श्री बुद्ध देव पाण्डेय, नेबेट प्रमाणित मे. अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, ठाणे के पर्यावरणीय सलाहकार की ओर से कहा गया कि माननीय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जिला बलौदाबाजार– भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, समस्त गणमान्य आगन्तुक एवं उपस्थित समस्त ग्रामवासी परियोजना प्रस्तावक माननीय अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार – भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, जिला रायपुर, समस्त गणमान्य आगन्तुक एवं उपस्थित समस्त ग्रामवासी, परियोजना प्रस्तावक श्री पदम कुमार डडसेना की मलपुरी सेण्ड माईन खनन परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित नदी

रेत खदान परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत् आज दिनांक 26/11/2024 को आयोजित लोक सुनवाई कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मलपुरी रेत खदान, रकबा – 10 हेक्टेयर और उत्पादन क्षमता – 1,80,000 घनमीटर/वर्ष है। कुल क्लस्टर क्षेत्र – 10 हेक्टेयर है। लोक सुनवाई का आयोजन विश्राम गृह परिसर, डोगर देवी मंदिर समिति मलपुरी के पास, ग्राम– मलपुरी, तहसील – पलारी, जिला– बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.) में दिनांक 26/11/2024 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर और जिला प्रशासन जिला– बलौदाबाजार– भाटापारा द्वारा संयुक्त रुप से किया गया है। जन सुनवाई की प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार है 14 सितंबर 2006 के ईआईए नोटिफिकेशन और इसके अधीन किए गए संशोधनों के अनुसार क्षेत्र बी–1 श्रेणी में आता है, जिसके अंतर्गत आज आयोजित लोक सुनवाई का कार्यक्रम पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया का आवश्यक भाग है। लोक सुनवाई की जानकारी को 2 समाचार पत्रों क्रमशः दैनिक भास्कर, रायपुर एवं फाईनेंशियल एक्सप्रेस नई दिल्ली में दिनांक 26/10/2024 को प्रकाशित किया गया है। लोक सुनवाई संपन्न होने की नियत तिथि एवं स्थान की सूचना को सार्वजनिक किया गया। आदेशानुसार कोटवार ग्राम पंचायत– मलपुरी द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थानों पर लोकसुनवाई का दिन समय और स्थान की जन सामान्य को सूचना दी गयी। लोक सुनवाई हेतु जन सूचना के सम्बन्ध में, कार्यालय कलेक्टर जिला बलौदाबाजार– भाटापारा, द्वारा दिनांक 18/10/2024 को पत्र जारी किया गया था। खनिज विभाग जिला बलौदाबाजार– भाटापारा द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 के नियम 6 के अनुसार रेत खदान की नीलामी के उपरांत आवेदक को अधिमानी बोलीदार घोषित करने के साथ, आवश्यक शासकीय अनुमति एवं प्रपत्र के साथ 5 वर्षों के रेत खनन के लिए आशय पत्र जारी किया गया है, सेण्ड माईन खदान का उत्खनिपट्टा के लिए नियमानुसार समस्त शासकीय अनुमतियां प्राप्त की गयी है एवं की जा रही है। आवेदित क्षेत्र से संवेदनशील संरचनाओं की दूरी मानकों से अधिक है। अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार मलपुरी रेत खदान में कुल रिकव्हरेबल रिजर्वस 1,80,000 घनमीटर है। मलपुरी सेण्ड माईन में वर्षवार उत्पादन के क्रम में, 5 वर्षों तक, प्रति वर्ष 1,80,000 घनमीटर/वर्ष उत्पादन प्रस्तावित है। मलपुरी रेत खदान में कुल जल की आवश्यकता 9.00 किलो लीटर प्रतिदिन होगी। खदान में कुल जनशक्ति की आवश्यकता 24 व्यक्ति होगी। खदान में कुल मशीनों एवं उपकरणों की संख्या 7 होंगी। जलवायु स्थिति – अध्ययन काल – शीत ऋतु 2023 –24 (20 अक्टूबर 2023 से 20 जनवरी 2024) तक अधिकतम तापमान – 28.4°C, न्यूनतम तापमान – 7.38°C, हवा की गति– 2.27 मीटर/सेकंड, प्रभावी पवन दिशा– उत्तर – पूर्व, औसत वर्षा – 0–1.92 मिलिमीटर रही। वायु, ध्वनि,

जल एवं मृदा के विश्लेषण के परिणाम निर्धारित मानकों के भीतर पाए गये। वायु, जल, मृदा, स्वास्थ्य, वनस्पति एवं जीव प्रबंधन के लिए लोडिंग (भरना) – लोडिंग और हॉल रोड पर पानी का छिडकाव किया जायेगा। परिवहन के लिए ट्रकों को तारपोलिन द्वारा ढका जाएगा। ओवर लोडिंग को रोका जायेगा। सभी परिवहन साधनों के लिए वैध पी.यू.सी. होना सुनिश्चित किया जाएगा। पौधारोपण के लिए एप्रोच सड़क, कच्ची सड़कों में एवं नदी तट पर में पौधे लगाकर हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा। वायु गुणवत्ता के लिए वाहनों की आवाजाही और लोडिंग आदि के कारण धूल के उत्पादन और प्रभाव और प्रदूषण को कम करने पानी का छिडकाव किया जायेगा। डीजल इंजनों का नियमित रखरखाव किया जायेगा। सतह जल प्रबंधन में सतही जल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी। सक्रिय चैनल में खनन नहीं किया जाएगा और सक्रिय चैनल के साथ न्यूनतम 3 मीटर का बफर जोन छोड़ा जाएगा ताकि जलीय जीवन और नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा न आए। भूमिगत जल प्रबंधन में आवेदित नदी तल क्षेत्र पर दोनों खदानों में रेत का जमाव औसत 5.15 मीटर या उससे अधिक की गहराई तक है। इस क्षेत्र में भूजल स्तर नदी के तल की सतह के स्तर से 4.03 मीटर गहराई से नीचे है। खनन 3 मीटर जल स्तर की गहराई तक सीमित रहेगा। रेत में कोई विषैला तत्व नहीं होता है, इस प्रकार भूजल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपशिष्ट जल प्रबंधन में खनन कार्य के दौरान कोई अपशिष्ट जल उत्पन्न नहीं होगा। अस्थायी साइट कार्यालय और एक विश्राम आश्रय का निर्माण किया जाएगा। खदान कार्यालय और विश्राम आश्रय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किए जाएंगे। स्वास्थ्य, सुरक्षा हेतु ऑन – साइट प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, है और आपात स्थिति में कर्मचारियों को स्थानीय समुदाय तक पहुंचाया जाएगा। ध्वनि गुणवता प्रबंधन के लिए ध्वनि स्तर को कम करने के लिए वाहनों एवं मशीनों का उचित रख–रखाव, आइलिंग एवं ग्रीसिंग की जायेगी। सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगें। ध्वनि के प्रसार को कम करने के लिए कच्ची सड़कों एवं नदी तट एवं अप्रोच सड़क पर हरित पट्टिका का विकास किया जाऐगा। आवधिक ध्वनि परीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा। जोखिम वाले श्रमिकों द्वारा कान के मफस का उपयोग किया जाएगा। खनन उपकरण पर काम करते समय COVID -19 को देखते हुए कान के मफ, मास्क और सभी आवश्यक पीपीई प्रदान किए जाएंगे। खदान के समीप नदी के तट पर, स्थित खसरा नंबर 499/1 में कुल 2,000 स्थानीय प्रजाति के पौधें जैसे अर्जुन, जामुन, करंज, सीसम कदम्ब आदि पौधे लगाए जायेंगे एवं सुरक्षा के लिए फेंसिंग की जावेगी। सामाजिक–आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव– परियोजना से समीपस्थ कृषि भूमि को कोई नुकसान नही है। परिणामतः परियोजना गतिविधि से कोई भी अन्य भूमि

या मानव बस्ती प्रभावित नही होगी। परियोजना के शुरु होने के साथ लोगों द्वारा अनुमानित किए जाने वाले प्रभाव की तुलना में बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव होगा। आसपास के निवासियों को बेहतर रोजगार और अवसर के साथ रखा जावेगा, जिससे भूमिहीन और श्रमिक वर्ग के लिए अधिक आजीविका का विकल्प पैदा होगा। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य मानकों के साथ परिवाहन और संचार सुविधा को क्षेत्र के आसपास विकसित किया जायेगा। जिसका स्थानीय निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। खनन कार्य से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार मिलेगा, जिससे निवासरत् लोगों का जीवनस्तर सामान्य से बेहतर होगा। आसपास के गांवों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा की सुविधा जैसे विकास कार्य लोगों की आवश्यकता के अनुसार योजना बनाई जाएगी जिसे ग्राम समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। आपदा प्रबंधन योजना – एक योग्य खान प्रबंधक के प्रबंधन नियंत्रण और निर्देशन में पूरा खनन कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम – 2019 एवं बाद में हुए संशोधनों, उसमे निहित निर्देशों के अनुसार खनन कार्य किया जाएगा। व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा माइन्स नियम, 1956 के अनुसार प्रारंभिक चिकित्सा जांच और श्रमिकों की आवधिक चिकित्सा जांच आयोजित की जाएगी। सफाई सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएगी। सभी कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सुविधाएँ एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय अपनाये जाएंगे। श्रमिकों को आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा कक्ष और सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। खदान के लिए उचित अग्निशमन सुविधाओं की व्यवस्था की जावेगी। परियोजना से निर्माण के लिए उपयोगी आर्थिक संसाधन उत्पन्न करना, रोजगार पैदा करना, अध्ययन क्षेत्र के लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार, भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार। सामाजिक अवसंरचना में सुधार करना लाभप्रद होगा। रोजगार गतिविधियों के अवसर सृजित होंगे और खनन स्थायी आजीविका के स्रोत के रूप में काम करेगा। खदान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार सृजित करेगी। अतिरिक्त, परिवहन जैसे कुछ कार्यों को अनुबंध पर आउटसोर्स किया जाएगा। इसलिए, खनन का समग्र प्रभाव सकारात्मक रहने की उम्मीद है। परियोजना की लागत मलपुरी सेण्ड माईन की कुल पूंजी लागत की राशि – 45.45 लाख रुपये है। खदान के लिए सीईआर की कुल राशि. 1.13 लाख रुपये होगी। पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत खदान के नदी तट क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं एप्रोच रोड, रैंप में जल छिड़काव की व्यवस्था, सड़क के रखरखाव, खान श्रमिकों के लिए सुविधाएं एवं पर्यावरण की निगरानी एवं ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर इत्यादि के लिए बजट – कुल पूंजीगत लागत – 3,55,400, कुल आवर्ती लागत खदान में – 7,10,000, प्रथम वर्ष में ईएमपी

की कुल लागत खदान में – 10,65,400 होगी। संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत खदान के समीप नदी के किनारे वृक्षारोपण एवं अप्रोच रोड मे जल छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी तथा पर्यावरण की निगरानी के साथ–साथ ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि के लिए भी संयुक्त रूप से पृथक बजट बनाया जायेगा। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि खनन परियोजना के क्रियाकलापों के प्रारंभ होने के साथ ही आसपास के क्षेत्र में एवं स्थानीय निवासियों को जीवन स्तर को ऊपर उठाने और बुनियादी ढॉचें के विकास का अवसर प्राप्त होगा। खनन परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रुप से रोजगार का सृजन होने से क्षेत्र के निवासियों को उपलब्ध संशाधनों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह खनन परियोजना से राज्य के राजकोष में राजस्व में भागीदारी के साथ–साथ राज्य के वित्तीय विकास में अपना अंशदान एवं योगदान भी देगा। जो राज्य शासन के वित्तीय विकास मे क्षेत्र निवासियों की भागीदारी साबित करेगा। परियोजना से संबंधित अन्य जानकारियां परियोजना से संबंधित अन्य समस्त जानकारियां पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन रिपोर्ट, कार्यकारी सारांश इत्यादि को, नियमानुसार पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई है। प्रस्तुतीकरण की प्रति, लोकसुनवाई के अध्यक्ष, अपर कलेक्टर जिला बलौदाबाजार – भाटापारा, क्षेत्रीय अधिकारी राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर तथा सहयोगी दल को भी उपलब्ध करा दी गयी है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के द्वारा कहा गया कि अभी आपके सामने परियोजना का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में विचार व्यक्त करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूॅ। आप कृपया यहां पर आयें माईक के पास एक–एक करके और इस परियोजना के संबंध में अपना पक्ष या विपक्ष जो भी आप कहना चाहते हैं आकर अपना विचार रखें। आप अपना विचार व्यक्त करने से पहले अपना नाम और गांव का नाम बतायें। इसके बाद आप अपना विचार रखें। जिनको लिखित में देना है, वो लिखित में भी दे सकते हैं। मंच के पास काऊंटर बना है, वहां आप अपना लिखित में अभ्यावेदन दे सकते हैं और जिनको बोलना है वो कृपया माईक पर आयें और अपना विचार व्यक्त करें।

1. श्रीमति ऊषा सोनवानी, ग्राम – बिजराडीह ने कहा कि आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो जे.सी.बी. आ रहे हैं रेत खदान के लिए की तो वहाँ हाईवा ट्रक लोडिंग करेगें तो उसमे यहाँ के बेरोजगार युवा लोगों को रोजगार मिले। मैडम से मैं यह कहना चाहती हूँ कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या सड़क और नाली की हैं। मेरी बात को ध्यान में रखा जाए मैं इतना बोलना चाहती हूँ।
2. श्री सेवा राम निषाद, ग्राम– मलपुरी ने कहा कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि रेत खदान हेण्ड लोडिंग है या मशीन लोडिंग हैं और यह कहना चाहता हूँ कि जो रेत

खनन के लिए जगह चुना गया हैं, वो 25 एकड़ हैं और गहराई उत्खन्न की 3 मीटर हैं अगर 3 मीटर से पहले पानी आ जाता हैं तो क्या खनन का क्षेत्र बढ़ाया जाएगा ? हमारे यहाँ का जो पहुँच मार्ग हैं, वो बहुत सकरा हैं जिसमें हमारे गाँव के बच्चे हायर सेकेण्डरी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं उसका क्या होगा?

3. श्री शम्भू निषाद, ग्राम– मलपुरी ने कहा कि हमारे गाँव में पहले रोड बनाना हैं, नाला बनाना हैं। इसके बाद ही रेत खदान खुलना चाहिए। रोड में छोटे– छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं बड़ा गाड़ी चलने से उन को परेशानी होती हैं इसलिए मलपुरी गाँव से भरुवाडीह तक रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए। बड़े गाड़ी के चलने के लिए रोड बनाना चाहिए। नाला भी बनाना चाहिए। बरसात में बहुत तकलीफ होता हैं। रोड तो रेती घाट से बनाना चाहिए। फिर रेती भी आपका और रेती घाट भी आपका।
4. श्री झाड़ूराम निषाद, ग्राम – मलपुरी ने कहा कि रेत खदान चलने से गाँव में जो परेशानी हैं वो यह है कि नाला में पुल का निर्माण होना चाहिए और सड़क निर्माण का काम होना चाहिए क्योंकि अभी जो सड़क हैं वो 12 टन भार क्षमता के लिए हैं। उसमें अगर 50 टन के हाईवा ट्रक चलता हैं, इससे सड़क बर्बाद हो जाता हैं जिससे हमें बहुत तकलीफ होता हैं।
5. श्री ठाकुर राम ध्रव, ग्राम– मलपुरी ने कहा कि यहाँ आए सभी अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर नाले में पुल और रोड बना नहीं हैं, छोटे –छोटे पाईप लगाकर अभी काम चला रहें हैं। उससे हमारे फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है और हमारे कई गाय और अन्य जानवर उसमें फंसकर मर गए। उसके कारण ही पहले उस पर ध्यान दिया जाए फिर हमें रेत खदान से कोई दिक्कत नहीं है।
6. श्री कमल बांधे, प्रदेश अध्यक्ष इंटक, छत्तीसगढ़ ने कहा कि आज के पर्यावरणीय लोक सुनवाई में पहुंचे आदरणीय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी, आदरणीय एस. डी. एम. मेडम, आदरणीय तहसीलदार साहब, आदरणीय नायब तहसीलदार साहब, हमारे पर्यावरण संरक्षण विभाग के सभी अधिकारी, श्रम व खनिज विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी हमारे, ग्राम मलपुरी के सरपंच एवं सभी पंच, हमारे साथी भाई और हमारे सभी मजदूर यूनियन के साथी आस–पास से आये हुए हमारे जन प्रतिनिधि लोग, हमारे मीडिया के सभी साथी लोग आज मलपुरी सेण्ड माईन का पर्यावरणीय लोक सुनवाई में हार्दिक स्वागत करता हूँ और समर्थन करता हूँ। स्वागत और समर्थन इसलिए करता हूँ कि मेसर्स मलपुरी सेण्ड माईन (प्रो. श्री पदम कुमार डडसेना), मलपुरी सेण्ड माईन के खुलने से हमारे स्थानीय बेरोजगार भाई लोग को काम

उपलब्ध हो पाएगा। जिससे वो अपना और अपने परिवार का भरण–पोषण अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही गौण खनिज रायल्टी से मिलना वाला सी. एस. आर. फंड से हमारे मलपुरी और आस–पास के गाँव का विकास होगा। साथ ही गौण खनिज रायल्टी के डी.एम.एफ. फंड से राज्य के विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाएगी। छत्तीसगढ़ की पावन धरती पावन महानदी की गोद में बसा सेण्ड माईन से परिपूर्ण, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए 2000 से 3000 पेड़ लगाये जाए। पर्यावरण अधिनियम, खनिज अधिनियम, श्रम अधिनियम के नियमों का पालन करते हुए सेण्ड माईन का संचालन होना चाहिए। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नोटिफिकेशन EIA 2006 का पालन करते हुए जनसुनवाई हो रहा है। आज के लोक सुनवाई की सुचना सभी ग्रामवासियों को इसकी जानकारी दी गई है। यही कारण है कि हम सब आज के लोक जनसुनवाई का स्वागत और समर्थन करता हूँ। मेरे साथ आए हुए मलपुरी और बिजराडीह के 15 युवा साथी लोग के साथ आज के पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई का समर्थन भी करता हूँ। साथ ही मेरे कुछ माँग भी है कि हमारे उक्त सेण्ड माईन में 70% युवा साथी को रोजगार दिया जाए। हमारे गाँव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जैसे कि हेल्पर, मशीन आपरेटर, मैनेजर, शमवर, मुंशी और मजदूरी इन सब में हमारे गाँव मलपुरी के स्थानीय लोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए साथ ही मेसर्स मलपुरी सेण्ड माईन में कार्यरत हमारे कर्मचारी रहेंगे उन लोग को कलेक्टर दर से शासन की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का पालन करते हुए भुगतान होना चाहिए और घनी आबादी क्षेत्र में तो घनी आबादी क्षेत्र के पास में सुबह–शाम पानी का छिड़काव होना चाहिए। पर्यावरण अधिनियम, खनिज अधिनियम, श्रम अधिनियम, राज्य शासन औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिनियम और शासन के सभी नियम को पालन करते हुए खदान का संचालन होना चाहिए। मेसर्स मलपुरी सेण्ड माईन्स सहित जितने भी सेण्ड माईन्स हैं, उन्हें 3000–3000 पौधें लगाना हैं और उसका संरक्षण भी करना चाहिए। रेत का परिवहन करते समय ट्रक को तारपोलिन से ढकना चाहिए ताकि किसी भी ग्राम वासी को किसी भी तरह से तकलीफ ना हो और गाँव की मूलभूत सुविधा जैसे सड़क, नाली और छोटी–छोटी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, उसे विशेष प्राथमिकता देते हुए उस कार्य को किया जाए। मैं पुनः मेसर्स मलपुरी सेण्ड माईन का समर्थन करता हूँ।

7. सुमित्रा धृतलहरे, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला – बलौदाबाजार– भाटापारा ने कहा कि जैसे ही यहाँ पर रेत खदान का कार्य चालू होता है तो जिस एरिया को आप लोग पारित करते हैं या निर्धारित करते हैं तो लोग उससे एरिया से आगे से खनन करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना खनन एरिया हैं उसे मार्किंग या बाऊंड्री करने बोलियेगा। ग्रामीण एरिया से जब हाइवा – ट्रक और ट्रेक्टर जैसे वाहन

गुजरते हैं तो धूल की समस्या तो होती ही है, उसके अलावा रेत का जो परिवहन होता हैं वो ओवरलोड होता हैं उसके कारण रेत उड़ता हैं और रेत का परिवहन तारपोलिन ढककर होना चाहिए और क्योंकि स्वीकृति अगर लोडिंग जे.सी.बी. से होगा तो उसके जगह लेबर लोडिंग से किया जाए। क्योंकि हमारे गाँव के आस पास के लोगो के लिए और कोई ऐसा फील्ड नहीं है, जहाँ काम मिल सकें। इसलिए लेबर लोडिंग को बढ़ावा मिलना चाहिए क्योंकि रेत खदान रोजगार का एक माध्यम हैं तो मजदूरों को कुछ फायदा हो सके और हाइवा के ओवरलोडिंग से सड़क को नुकसान होगा तो सड़क के मरम्मत का प्रावधान रखियेगा। समय तो निर्धारित है कि सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक चलता है, लेकिन 6 के बाद ओवर नाईट भी रेत खदान चलाते हैं तो आप लोग उस पर ध्यान रखिएगा। राजस्व के अन्दर आता है और शासन को बहुत फायदा होता है और राजस्व से प्राप्त राशि को गाँव के विकास में उपयोग किया जाए। इसलिए ध्यान रखा जाए कि राजस्व की चोरी ना हो। और जो इनके द्वारा रायल्टी बनता हैं तो जब इनके गाड़ी को गाँव के सरपंच, पंच या कोई जनप्रतिनिधि रोकता है तो ये रायल्टी दिखाने से मना करते हैं। तो अगर कोई जनप्रतिनिधि या सरपंच गाड़ी को रोककर रायल्टी चेक करता हैं तो मुझे पता नहीं ऐसा होता हैं कि नहीं लेकिन ऐसा होना चाहिए।

8. श्री घनश्याम प्रसाद विश्वकर्मा, ग्राम– मलपुरी ने कहा कि मेरी समस्या यह है कि मेरे खाते में इंदिरा आवास का 40,000/– आ चुका हैं तो उसे मैं खर्च कर चुका हूँ घर का सामान खरीदने में, अब लोग बोलते हैं कि वो पैसा वापस करो, तो मैं अब कहाँ से वापस कर पाऊंगा।

9. श्री अजय चकोले, अध्यक्ष मजदूर सेवा समिति ने कहा कि आज की पर्यावरण लोकसुनवाई रखी गई है और ये रेत खदान के लिए हैं। रेत खदान होने पर आस–पास के जितने क्षेत्र हैं वहाँ पर रेतों का रेट कम होगा, उससे लोगों को घर बनाने में फायदा होगा। साथ ही रायल्टी मिलेगी सरकार को जिससे डी.एम.एफ. फंड बढेगा। जिसका उपयोग कर के गाँव का विकास होगा। इन्होंने कहा कि मैं वृक्षारोपण करूँगा तो मैं कहूँगा कि इन्हें वृक्षारोपण नदी के पास करना चाहिए जिससे इसका नदीं के किनारे की मिट्टी का कटाव रुकेगा हमारे गाँव व आस–पास के गाँव के लोगों को रोजगार मिलेगा, 100 % अकुशल कारीगर को रोजगार देंगे तो इससे गाँव में उन्नति और पैसा आएगा और गाँव का विकास होगा। साथ ही साथ मै सुझाव भी दूंगा कि जो सड़क है वो अभी जर्जर हैं और वो सड़क 12 टन की हैं इसमें 50 टन के ट्रक चलेंगे तो पहले ट्रकों के चलने के लिए सड़क निर्माण करें उसके बाद रेत खदान से रेत का परिवहन करें तो बेहतर होगा नहीं तो बहुत दिक्कत होगा यहाँ एम्बुलेन्स भी नहीं आ पाएगी। मैं मलपुरी सेण्ड माईन के प्रस्तावक से निवेदन करूँगा कि सड़क की व्यवस्था की जाए। बाकि रेत से

पर्यावरण को कोई नुकसान हैं बल्कि नदी से रेत निकालेंगे तो उससे नदीं की गहराई भी बढ़ेगी। मैं इस जन सुनवाई का और लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।

10. श्री नील कुमार आचाद, ग्राम– मलपुरी ने कहा कि हमारे समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी को सामने यह बात रखना चाहूँगा कि अभी हम जहाँ खड़े हैं इस मंदिर प्रांगण में मिटटी का कटाव बहुत होता है रेती खदान वाले उसके रोकने का कुछ उपाय करें और हमारे ग्राम मलपुरी से भरवाडीह तक जाने का रास्ता बहुत ही खराब हैं जिससे बहुत दिक्कत होता हैं इसलिए गाँव वाले चाहते हैं कि जो गाँव की सड़क हैं उसे भरुवाडीह मेन मार्ग तक बनाया जाए और जो नाला हैं, उसमें भी पुल निर्माण होना चाहिए जिससे हमारे किसान भाईयों को परेशानी ना हो।
11. श्री ईश्वर राज वैष्णव, ग्राम– मलपुरी ने कहा कि आदरणीय कलेक्टर महोदय, जिला तहसीलदार और सभी सदस्यगण और सभी ग्रामवासी को नमस्कार, आप लोग सड़क और अन्य चीजो की माँग किये हैं, वो अच्छी बात हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि हम अधिकारियों के पास जाते थे और आज हमारा सौभाग्य हैं कि कुछ अधिकारी आज यहाँ पधारें हैं। यह जो जगह हैं जो बहुत पुरातन जगह हैं, वर्षों पहले यहाँ विष्णु जी का मूर्ति मिला हैं यहाँ से प्रत्येक वर्ष करोड़ो रूपये का आवक हो जाता है कुछ हिस्सा सरकार के कोष में जमा होता हैं और व्यापारी वर्ग को करोड़ो अरबों मिलता हैं। आदरणीय कलेक्टर महोदय जी पर्यावरण के संबंध में सभी ने माँग किये, सड़क के संबंध में माँग किये। पहले यहाँ घना जंगल था वो धीरे–धीरे कट गया और नदी का तापमान गर्मी में कम रहता था, पर अब रेत खदान के कारण नदी के पानी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आदरणीय सदस्य गण सभी लोगो के जीवन में ऐसा अवसर आता है और हम लोग की तरह आप लोग भी सामान्य आदमी हैं। लेकिन जो व्यक्ति या संस्था अच्छा काम करते हैं उनको लोग सदा याद रखते हैं। पंचायत के यहाँ करोड़ो रूपये आमदनी होने के बाद भी गाँव का विकास नहीं होता। नेता आते हैं, अधिकारी आते हैं घूमते–फिरते हैं और चले जाते हैं कोई फंड नहीं देते। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि करोड़ो रूपये आमदनी होने के बावजूद भी गाँव का विकास नहीं हो रहा हैं।
12. श्री डोमार साहू, ग्राम– भरवाडीह ने कहा कि आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि रेत खनन के जन सुनवाई में हमारे अधिकारी पधारें हैं। खनन हमेशा से होते आ रहा हैं ठेकेदार यहाँ आते हैं और खनन करते हैं। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि यहाँ शराब का बिक्री चलता हैं। मैं आपके द्वारा यह इशारा देता हूँ कि गाँव में छोटे–छोटे बच्चे हैं, सड़क भी सकरा हैं और गर्जर हैं। शराब की अवैध बिक्री रूकनी चाहिए और सड़क का निर्माण होना चाहिए।

13. श्री सोमकांत निर्मलकर, प्रदेश सचिव इंटक ने कहा कि मैं मलपुरी सेण्ड माईन का समर्थन करता हूँ क्योंकि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और आमदनी बढ़ेगी पर एक बात पर ध्यान दिया जाए कि यहाँ अवैध रेत खनन बहुत होता हैं। उस पर रोक लगाया जाए। मैं इस रेत खदान का समर्थन करता हूँ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा कहा गया कि इस जनसुनवाई में जो आम जनता के द्वारा अपना विचार व्यक्त किया गया है, उसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक क्या विचार रखते हैं, वो आकर अपना स्पष्टीकरण दें।

परियोजना प्रस्तावक श्री पदम कुमार डडसेना ने कहा कि मेरे द्वारा आवेदित मलपुरी रेत खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत् आयोजित लोक सुनवाई कार्यक्रम में ग्रामवासियों के द्वारा सुझाये गये विकल्पो के संबंध में हमारी ओर से जवाब देने के लिए नेबेट में प्रमाणिक अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, ठाणे के पर्यावरणीय सलाहकार मंडल के सदस्य को आमंत्रित करता हूँ।

श्री बुद्ध देव पाण्डेय द्वारा बताया गया है कि दिनांक 26.11.2024 को विश्राम गृह परिसर, डोगर देवी मंदिर समिति मलपुरी के पास, ग्राम– मलपुरी, तहसील – पलारी, जिला– बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.) में परियोजना प्रस्तावक श्री पदम कुमार डड़सेना द्वारा आवेदित मलपुरी सेण्ड माईन खनन परियोजना (प्रो. श्री पदम कुमार डड़सेना), प्रस्तावित नदी रेत खदान परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत आयोजित लोक सुनवाई कार्यक्रम में ग्रामवासियों के द्वारा सुझाये गए विकल्पों को स्वीकार करते हुए माननीय अपर कलेक्टर जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, का परियोजना प्रस्तावक श्री पदम कुमार डड़सेना की ओर से यह आश्वासन देना चाहते हैं कि, आवेदक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान का संचालन अनुमोदित उत्खनन योजना में उल्लेखित नियमों के अनुरूप किया जावेगा एवं खदान संचालन के दौरान खनिज शाखा तथा पर्यावरण विभाग द्वारा निर्देशित नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा। छत्तीसगढ़ शासन की आदर्श पुनर्वास एवं रोजगार नीति के अनुसार, योग्यता तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय ग्रामीणों को परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जायेगा। रेत खदान से, रेत का परिवहन, ग्रामीण मार्ग के अलावा अन्य गैर रहवासी क्षेत्र से होकर किया जावेगा। रेत का खनन शासन की नीलामी प्रक्रिया में प्रदान की गयी 10 हेक्टेयर क्षेत्र में अधिकतम 3 मीटर की गहराई तक किया जाना प्रस्तावित है। मजदूरी का भुगतान नियत समय पर किया जाएगा। शासकीय नियमानुसार मजदूरों

को मजदूरी एवं अन्य राशि दी जाएगी। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु, सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव कर के प्रदूषण को कम किया जावेगा तथा अन्य धूल उड़ने वाले बिंदुओं पर जल का छिड़काव करके धूल उत्सर्जन को नियंत्रित किया जावेगा, एवं समय – समय पर सड़क का उचित रख – रखाव भी कराया जावेगा। सड़कों का उचित रख रखाव तथा वाहनों का संचालन तारपोलिन ढककर किया जावेगा तथा समय समय पर सड़क का उचित रख रखाव किया जावेगा । नदी तट की सुरक्षा के लिए शासकीय नियमो के तहत 140 से 153 मीटर की दूरी छोड़कर नदी के मध्य खनन किया जावेगा इसके साथ ही नदी तट से मृदा कटाव के रोकथाम के लिए, नदी तट क्षेत्र में पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत 2,000 नग पौधे, स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण तथा सुरक्षा के लिए चेनलिंक फेंसिंग के साथ, नियत अंतराल पर वृक्षारोपण किया जावेगा। ग्रामवासियों के द्वारा अन्य सुविधाओं की मांग जैसे ग्राम में रोड, नाली, पानी आदि एवं ग्राम पंचायत में विकास के अन्य कार्यों के बारे में यह कहना चाहेंगें की खदान के संचालन के दौरान पट्टेदार द्वारा रायल्टी के साथ–साथ जिला खनिज निधि (DMF) के रूप में निर्धारित राशि प्रतिमाह शासन को जमा की जावेगी, जिसका उपयोग शासन द्वारा इन मदो में किया जाता है। माननीय अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से हमारा अनुरोध है कि ग्रामवासियों के द्वारा की गयी मांगों को यथोचित संज्ञान में लेते हुए, निर्णय में लेते हुए सम्बंधित कार्यालय को सूचित करने की कृपा करें। नदी के तट से 140 से 153 मीटर की दूरी छोड़कर, नदी के मध्य में एवं मंदिर से 650 मीटर से अधिक दूरी पर, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम–2019, सस्टेनेबल सेंड माइन गाइड लाइन 2016 एवं एनफोर्समेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाइड लाइन फॉर सैंड माइनिंग 2020 के अनुसार समस्त सार्वजनिक स्थलों से नियमानुसार दूरी है। रेत उत्खनन हेतु कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.), द्वारा सम्बंधित विभागों जैसे ग्राम पंचायत, राजस्व विभाग, खनिज विभाग, वन विभाग इत्यादि से कानून सम्मत नियमानुसार प्रक्रिया के तहत अनुमति/जॉच प्रतिवेदन मँगाया जाता है। विभिन्न विभागों के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन को जॉच लेने के पश्चात्, चिन्हांकित सीमांकित करते हुए घोषित किया जाता है। कार्यालय कलेक्टर जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.), द्वारा टेंडर/ऑक्शन जारी करते हुए विजेता को आशय पत्र जारी किया गया है। पर्यावरण स्वीकृति एवं लीज पट्टा प्राप्त होने के पश्चात सीमांकित क्षेत्र में सीमाचिन्ह/पिलर लगाकर सीमांकित क्षेत्र के भीतर खनन किया जावेगा। मजदूरों से खनन एवं लोडिंग को प्राथमिकता दी जावेगी एवं पर्यावरण तथा खनिज विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर मशीन से खनन एवं

लोडिंग कराया जावेगा। हमारे प्रकरण में लोक सुनवाई के दौरान जो भी आपत्ति, सुझाव या मुद्दे उठाए गये हैं उसके संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब एवं जानकारियों के अनुसार निराकरण किया जाएगा। इस सम्बन्ध में शपथ पत्र भी राज्य स्तर पर्यावरण समाघात प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा ने कहा कि आज इस जन सुनवाई में जो भी कार्यवाही की गई वो सभी रिकॉडिंग कर ली गई है। आप सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विचार अपना अभिमत व्यक्त किया। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करती हूॅ और आज की जन सुनवाई यहीं पर समाप्ति की घोषणा करती हूॅ। पूर्वान्ह लगभग 11.40 बजे लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई। लोक सुनवाई के संबंध में प्राप्त आवेदनों की संख्या 01 है। संपूर्ण लोकसुनवाई की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर (छ.ग.)	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)